



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20810

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या - 1224,/2026

राम चंद्र और 12 अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:ओमकार नाथ राय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार नाथ राय, रिट याचिका का वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, जहाँ तक यह रिट याचिकाकर्ता संख्या 8 से 13 से संबंधित है; साथ ही उन्हें यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष पुनः याचिका दायर कर सकें।
2. अतः, रिट याचिका को, जहाँ तक यह रिट याचिकाकर्ता संख्या 8 से 13 से संबंधित है, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ 'वापस ली गई' मानकर खारिज किया जाता है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमकार नाथ राय और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अंकुर टंडन को सुना गया।
4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता प्रतिवादी-सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश देने की मांग करता है कि वह याचिकाकर्ता की प्रशिक्षण अवधि को, अतिरिक्त वेतन वृद्धि के प्रयोजन हेतु आवश्यक 'संतोषजनक सेवा' में शामिल करे; यह अवधि 19 वर्ष की मानी जाती है।
5. यह निवेदन किया जाता है कि इस संबंध में, याचिकाकर्ता पहले ही प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका है।
6. यह विवाद अब कोई नया या अनसुलझा मुद्दा नहीं रह गया है; ऐसा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की उस श्रृंखला को देखते हुए है, जो 'घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' (रिट-A संख्या 44330/2012, दिनांक 07.09.2012 को निस्तारित) मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात् पारित किए गए थे। उक्त निर्णय को बाद में विशेष अपील में भी पुष्ट किया गया था, और उसके विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया था।
7. विद्वान स्थायी वकील ने निवेदन किया है कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ कर दिया जाए कि प्रतिवादी संख्या 2, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.01.2026 के अभ्यावेदन में उठाई गई शिकायत पर विचार करे और कानून के पूर्णतः अनुरूप उचित आदेश पारित करे।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपरोक्त के आलोक में, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाई गई शिकायत पर विचार करेगा और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उस पर निर्णय लेगा।
9. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है, पारित किया जाने वाला आदेश तर्कसंगत और सुस्पष्ट होगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

30 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

Translated version. Not for Legal Use.

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”